न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52 /2019

रफीक पुत्र नवल खां जाति नाई निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. नवल खां पुत्र दानू
2. जुहरी पत्नि नवल खां
3. हस्सन
4. जाकिर पिसरान नवल खां जाति नाई निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 ,188 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :- श्री प्रहलाद सिंह वकील वादी

दिनांक :- 07.12.2020

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 3377/0.15, 3378/0.20, 5124/0.12, 5125/0.13, बांके ग्राम सहसन द्वितीय व 2629/0.26, 183/0.18, 184/0.39, 185/0.17, 329/0.13, 2648/0.18, 2651/0.18, 2652/0.13, 2625/0.23, बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी में स्थित है। यह कि उक्त आराजी पूर्व में वादी के नाना की आराजी थी नाना के फौत होने के बाद आराजी नाना के वारिसान को मिली जिसमें मेरी माता प्रतिवादी संख्या 2 को विरासत प्राप्त हुई और मेरे पिता के नाम जो आराजी है उसमें वादी का हक निहित है एवं वादी अपने हिस्से पर काबिज है। जिसे वादी कानूनन अपने नाम खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। आराजी मुत0 प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम होने से प्रतिवादी संख्या 3 व 4 साथ रहने के कारण प्रतिवादीगण सम्पूर्ण आराजी का बेचान करना चाहते है एवं वादी को बेदखल करना चाहते है जिसकी धमकी दिनांक 25.04.2019 को ग्राम सहसन में दी है। यदि प्रतिवादीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो वादी को अपरमित क्षति होगी । विवादित आराजी पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड वाहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज रहकर वादी काश्त करता चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम चली आ रही

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

है जिसे वादी कलमजन कराकर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नही आये उनके विरूद्ध दिनांक 24.06.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतु बार–बार अवसर दिये गये किन्तु वकील वादी ने साक्ष्य वादी प्रस्तुत नहीं किये इसलिये दिनांक 21.10.2020 को साक्ष्य वादी बन्द किये गये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कहे गये कथनों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस सुनी। बहस पर मनन किया । पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया वादी ने प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 3377/0.15, 3378/0.20, 5124/0.12, 5125/0.13, बांके ग्राम सहसन द्वितीय व 2629/0.26, 183/0.18, 184/0.39, 185/0.17, 329/0.13, 2648/0.18, 2651/0.18, 2652/0.13, 2625/0.23, बांके ग्राम सहसन प्रथम तहसील पहाडी नाना की होना एवं नाना की फौती के बाद वादी की माता प्रतिवादी संख्या 2 को विरासतन प्राप्त होना एवं आराजी को पैत्रिक होना अपने दावे में अंकित किया है। मुताबिक नकल जमाबन्दी सम्वत 2059 लगायत 2062 आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 3377/0.15, 3378/0.20, 5124/0.12, 5125/0.13, बांके ग्राम सहसन द्वितीय व 2629/0.26, 183/0.18, 184/0.39, 185/0.17, 329/0.13, 2648/0.18, प्रतिवादी संख्या 2 जुहरी खातेदार दर्ज है एवं आराजी खसरा नम्बर 2651/0.18, 2652/0.13, 2625/0.23, प्रतिवादी संख्या 1 नवल खां पुत्र दानू एवं आसीन पुत्र दानू की खातेदारी के रकबा है। वादी द्वारा अपने दावे में ऐसा कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता हो कि आराजी प्रतिवादीगण को वादी के नाना से प्राप्त हुई एवं आराजी पैत्रिक आराजी है वादी अपने दावे को सिद्ध कराने में असफल रहा है । ऐसी स्थिति में दावा वादी काबिले खारिजी के है।

अतः दावा वादी प्रमाणित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री तैयार कर शामिल पत्रावली किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.12.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

डिगरी व मुकदमे इब्तदाई
(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)
[Civil Procedure Code Appendix D-I]
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)
पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 52 /2019
रफीक पुत्र नवल खां जाति नाई निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

वादी

बनाम

1. नवल खां पुत्र दानू
2. जुहरी पत्नि नवल खां
3. हस्सन
4. जाकिर पिसरान नवल खां जाति नाई निवासी ग्राम सहसन तहसील पहाडी

प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी (भरतपुर)

फौरमल प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89 ,188 आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 ....व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी प्रमाणित नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आज ..... X .... मुबलिग .... X ....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर .... X .... को सदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी .... X ....तक अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 07.12 सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....
ओहदा ....
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक ...		
मीजान	4.00		मीजान		